कार्यालय कलेक्टर एवं अध्यक्ष
जिला खनिज संस्थान न्यास (DMFT), जिला - रायगढ़ (छ.ग.)

क्रमांक : FINACC-3602/432/2026-O/O ADD COLL RGH-2 **रायगढ़, दिनांक : 12/06/2026**

// सार्वजनिक सूचना //

"खनिज ज्योति योजना" - खनिज की संपदा से ज्ञान की रोशनी तक

खनन प्रभावित क्षेत्रों के बी.पी.एल. (BPL) परिवारों के मेधावी विद्यार्थियों हेतु वित्तीय सहायता

रायगढ़ जिले के खनन गतिविधियों से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित ग्रामों/क्षेत्रों के आर्थिक रूप से कमजोर (BPL) तथा प्रतिभावान छात्र-छात्राओं को देश/राज्य के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में उच्च, तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने हेतु जिला खनिज संस्थान न्यास (DMFT), रायगढ़ द्वारा शत-प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य धन के अभाव में किसी भी खनन प्रभावित प्रतिभावान छात्र की उच्च शिक्षा को बाधित होने से बचाना है।

महत्वपूर्ण सूचना: यह योजना वर्तमान शैक्षणिक सत्र के लिए **कुल 20 स्वीकृत सीटों (सीमित सीटें)** के लिए ही संचालित है।

पात्रता एवं कड़े मापदंड (Eligibility Criteria)

योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदकों को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी:

- **भौगोलिक पात्रता (खनन प्रभावित क्षेत्र):** आवेदक अनिवार्य रूप से रायगढ़ जिले के अंतर्गत प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से खनन प्रभावित घोषित ग्रामों/नगरीय निकायों का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- **आर्थिक श्रेणी:** आवेदक के परिवार का नाम राज्य शासन की चालू बी.पी.एल. (BPL) / अंत्योदय सूची में दर्ज होना अनिवार्य है तथा उनके पास वैध राशन कार्ड होना चाहिए।

- **शैक्षणिक योग्यता (न्यूनतम कट-ऑफ):**
    - कक्षा 12वीं (बोर्ड परीक्षा) में न्यूनतम 55% अंक (अनारक्षित/अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु) होने अनिवार्य हैं।
    - अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) एवं दिव्यांग (PwD) वर्ग के छात्र-छात्राओं हेतु न्यूनतम 50% अंक अनिवार्य हैं।
- **आयु सीमा:** आवेदन की तिथि को छात्र/छात्रा की अधिकतम आयु 25 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- **स्वीकृत पाठ्यक्रम:** यह सहायता केवल मान्यता प्राप्त संस्थानों में संचालित नियमित स्नातक (UG), स्नातकोत्तर (PG), इंजीनियरिंग, मेडिकल (MBBS/BAMS), विधि (Law), प्रबंधन (MBA), डिप्लोमा कोर्स एवं अन्य कृषि व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में नियमित प्रवेश लेने पर ही देय होगी।
- **दोहरे लाभ पर प्रतिबंध:** आवेदक केंद्र या राज्य सरकार की किसी अन्य समान बड़ी छात्रवृत्ति/वित्तीय सहायता योजना का लाभ न ले रहा हो। (इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा)।

चयन प्रक्रिया (Selection Process)

यदि स्वीकृत 20 सीटों की तुलना में अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं, तो पारदर्शी चयन हेतु निम्नलिखित वरीयता सूचकांक (Merit-cum-Preference Index) लागू होगा:

1. **प्रथम प्राथमिकता:** प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित (Directly Affected) क्षेत्रों/ग्रामों के आवेदकों को दी जाएगी। सीटें रिक्त रहने पर ही अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित (Indirectly Affected) पर विचार किया जाएगा।
2. **द्वितीय प्राथमिकता:** राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षाओं (JEE, NEET, CLAT आदि) के माध्यम से प्रतिष्ठित राष्ट्रीय संस्थानों (IITs, NITs, AIIMS, IIMs या केंद्रीय विश्वविद्यालयों) में प्रवेश पाने वाले छात्रों को।
3. **तृतीय प्राथमिकता:** कक्षा 12वीं (बोर्ड परीक्षा) में प्राप्त अंकों की मेरिट।
4. **चतुर्थ प्राथमिकता:** समान अंक होने पर सबसे कम पारिवारिक वार्षिक आय वाले छात्र को।
5. **पंचम प्राथमिकता:** समान अंक और आय की स्थिति में अनाथ, एकल माता-पिता के बच्चों या दिव्यांग (PWD) छात्र-छात्राओं को।

आवेदन की प्रक्रिया

योग्य एवं इच्छुक छात्र निर्धारित आवेदन प्रारूप जिले की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर या कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन पत्र समस्त आवश्यक दस्तावेजों के साथ निर्धारित तिथि तक जमा करें। अपूर्ण, अस्पष्ट या नियत तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों को निरस्त कर दिया जाएगा।

- **आवेदन प्राप्त करने एवं जमा करने का स्थान:** कक्ष क्रमांक-93, DMFT शाखा, कलेक्ट्रेट कार्यालय, रायगढ़ (छ.ग.)
- **आधिकारिक वेबसाइट:** www.raigarh.gov.in
- **हेल्पलाइन नंबर:** 9770989049 (कार्यालयीन समय पर)
- ***आवेदन ३० जुलाई २०२६ तक आमंत्रित किए जाते हैं।***

शिक्षित युवा - सशक्त समाज - समृद्ध एवं उन्नत रायगढ़

Digitally signed by
MAYANK CHATURVEDI
Date: 12-06-2026
22:36:38

कलेक्टर एवं अध्यक्ष
जिला खनिज संस्थान न्यास (DMFT)
रायगढ़ (छ.ग.)

// आधिकारिक अधिसूचना / व्यापक विज्ञापन //

"खनिज ज्योति योजना" — खनिज की संपदा से ज्ञान की रोशनी तक

खनन प्रभावित क्षेत्रों के बी.पी.एल. (BPL) परिवारों के मेधावी विद्यार्थियों हेतु वित्तीय सहायता

रायगढ़ जिले के खनन गतिविधियों से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित ग्रामों/क्षेत्रों के आर्थिक रूप से कमजोर (BPL) तथा प्रतिभावान छात्र-छात्राओं को देश/राज्य के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में उच्च, तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने हेतु **जिला खनिज संस्थान न्यास (DMFT), रायगढ़** द्वारा शत-प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य धन के अभाव में किसी भी खनन प्रभावित प्रतिभावान छात्र की उच्च शिक्षा को बाधित होने से बचाना है।

⚠️ **विशेष टीप:** यह योजना वर्तमान शैक्षणिक सत्र के लिए **कुल 20 स्वीकृत सीटों (सीमित सीटें)** के लिए ही संचालित है। *आवेदन ३० जुलाई २०२६ तक आमंत्रित किए जाते हैं।*

पात्रता एवं चयन के कड़े मापदंड (Eligibility Criteria)

योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदकों को निम्नलिखित पात्रता शर्तों को पूरा करना अनिवार्य होगा:

- **१. भौगोलिक पात्रता (खनन प्रभावित क्षेत्र):** आवेदक अनिवार्य रूप से रायगढ़ जिले के अंतर्गत **प्रत्यक्ष (Directly) अथवा अप्रत्यक्ष (Indirectly) रूप से खनन प्रभावित घोषित ग्रामों/नगरीय निकायों** का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- **२. आर्थिक श्रेणी:** आवेदक के परिवार का नाम राज्य शासन की चालू **बी.पी.एल. (BPL) / अंत्योदय सूची** में दर्ज होना अनिवार्य है तथा उनके पास वैध राशन कार्ड उपलब्ध होना चाहिए।
- **३. शैक्षणिक योग्यता (न्यूनतम कट-ऑफ):** * कक्षा 12वीं (बोर्ड परीक्षा) में न्यूनतम **55% अंक** (अनारक्षित/अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु) होने अनिवार्य हैं।
    - अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) एवं दिव्यांग (PwD) वर्ग के छात्र-छात्राओं हेतु न्यूनतम **50% अंक** अनिवार्य हैं।
- **४. स्वीकृत पाठ्यक्रम:** यह सहायता केवल मान्यता प्राप्त शासकीय/अर्ध-शासकीय/निजी विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों (UGC, AICTE, NMC, BCI, DCI द्वारा मान्यता प्राप्त) में संचालित नियमित स्नातक (UG), स्नातकोत्तर (PG), इंजीनियरिंग, मेडिकल (MBBS/BAMS), विधि (Law), प्रबंधन (MBA) , डिप्लोमा एवं अन्य कृषि व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में नियमित प्रवेश लेने पर ही देय होगी।

- **५. दोहरे लाभ पर प्रतिबंध:** आवेदक केंद्र या राज्य सरकार की किसी अन्य समान बड़ी छात्रवृत्ति/वित्तीय सहायता योजना का लाभ न ले रहा हो। (इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा)।
- **६. आयु सीमा:** आवेदन की तिथि को छात्र/छात्रा की अधिकतम आयु **25 वर्ष** से अधिक नहीं होनी चाहिए।

चयन प्रक्रिया (Selection Process if Applications Exceed 20)

यदि योजना के अंतर्गत स्वीकृत **20 सीटों** की तुलना में अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त होते हैं, तो पारदर्शी एवं निष्पक्ष चयन हेतु निम्नलिखित **वरीयता सह मेरिट सूचकांक (Merit-cum-Preference Index)** के आधार पर अंतिम चयन सूची तैयार की जाएगी:

वरीयता क्रम	प्राथमिकता का आधार / क्राइटेरिया	विवरण
प्राथमिकता 1	**प्रभाव की श्रेणी (Type of Mining Affected)**	**प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित (Directly Affected)** क्षेत्रों/ग्रामों के आवेदकों को पहली प्राथमिकता दी जाएगी। सीटें रिक्त रहने पर ही अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित (Indirectly Affected) आवेदकों के नाम पर विचार किया जाएगा।
प्राथमिकता 2	**प्रतिष्ठित राष्ट्रीय संस्थान (Premium Institutes)**	राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षाओं (जैसे JEE Advanced/Mains, NEET, CLAT आदि) के माध्यम से IITs, NITs, AIIMS, IIMs या केंद्रीय विश्वविद्यालयों जैसे **शीर्ष राष्ट्रीय संस्थानों में प्रवेश पाने वाले छात्रों को उच्च वरीयता** दी जाएगी।
प्राथमिकता 3	**कक्षा 12वीं के अंकों की मेरिट (Tie-Breaker 1)**	यदि उपर्युक्त दोनों श्रेणियां समान होती हैं, तो **कक्षा 12वीं (बोर्ड परीक्षा) में प्राप्त अंकों के प्रतिशत (%)** के आधार पर योग्यता सूची (Merit List) तैयार की जाएगी।
प्राथमिकता 4	**पारिवारिक वार्षिक आय (Tie-Breaker 2)**	यदि 12वीं के अंक भी समान (Tie) पाए जाते हैं, तो जिस परिवार की **वार्षिक आय सबसे कम** होगी, उस छात्र को चयन में प्राथमिकता दी जाएगी।
प्राथमिकता 5	**विशेष श्रेणी (Special Category)**	समान अंक और आय की स्थिति में अनाथ, एकल माता-पिता (Single Parent) के बच्चों या विशेष रूप से दिव्यांग (PwD) छात्र-छात्राओं को प्राथमिकता दी जाएगी।

आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेज (Checklist)

(टीप: सभी दस्तावेज स्पष्ट, सुपाठ्य एवं सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित अथवा स्व-प्रमाणित (Self-Attested) होने चाहिए)

1. **कक्षा 10वीं एवं 12वीं की अंकसूची** (आयु एवं शैक्षणिक योग्यता के सत्यापन हेतु)।
2. **प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाण पत्र:** राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं में चयन का प्रमाण पत्र/रैंक कार्ड।
3. **संस्थान का प्रवेश दस्तावेज:** संबंधित विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा जारी चालू सत्र का नियमित प्रवेश पत्र/सीट अलॉटमेंट लेटर एवं बोनाफाइड (Bonafide) सर्टिफिकेट।
4. **अधिकृत फीस स्ट्रक्चर:** शिक्षण संस्थान के सक्षम प्राधिकारी (प्राचार्य/कुलसचिव) द्वारा जारी संपूर्ण वर्षों का सेमेस्टर-वार/वार्षिक विस्तृत फीस स्ट्रक्चर।
5. **खनन प्रभावित क्षेत्र निवासी प्रमाण पत्र:** संबंधित क्षेत्र के सक्षम राजस्व अधिकारी (तहसीलदार/नायब तहसीलदार) अथवा जनपद CEO द्वारा जारी **"खनन प्रभावित क्षेत्र" का विशिष्ट निवास प्रमाण पत्र।**
6. **सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र** (आरक्षित वर्ग के आवेदकों हेतु)।
7. **आय प्रमाण पत्र:** तहसीलदार द्वारा विगत 6 माह के भीतर जारी वैध पारिवारिक आय प्रमाण पत्र।
8. **वैध बी.पी.एल. (BPL) / अंत्योदय राशन कार्ड** की प्रमाणित छायाप्रति।
9. **आधार कार्ड** की छायाप्रति (जो बैंक खाते और मोबाइल नंबर से लिंक हो)।
10. **बैंक पासबुक/कैंसल्ड चेक:** विद्यार्थी के स्वयं के नाम का राष्ट्रीयकृत बैंक खाता, जिसमें खाता क्रमांक तथा IFSC कोड स्पष्ट रूप से अंकित हो।
11. **पूर्व भुगतान रसीदें:** महाविद्यालय में प्रवेश के समय जमा की गई फीस की मूल कंप्यूटर जनित रसीद या वाउचर।
12. **शपथ पत्र (Affidavit):** गैर-न्यायिक स्टांप पेपर (₹10/-) पर नोटरीकृत शपथ पत्र कि आवेदक को किसी अन्य स्रोत से छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं हो रही है तथा दी गई सभी जानकारियां सत्य हैं।

📌 महत्वपूर्ण निर्देश एवं नियम (Important Terms & Notes)

- **योजना की निरंतरता:** प्रथम वर्ष के पश्चात आगामी वर्षों की फीस प्रतिपूर्ति तभी की जाएगी जब छात्र अपनी वार्षिक/सेमेस्टर परीक्षा **प्रथम प्रयास में न्यूनतम 55% अंकों** के साथ उत्तीर्ण करेगा तथा उसकी महाविद्यालय में न्यूनतम **75% उपस्थिति** होगी।
- **आवेदन की अस्वीकृति:** अपूर्ण, अस्पष्ट, कूट-रचित (Fake) या नियत तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों को बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त कर दिया जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध वैधानिक दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

📥 आवेदन की प्रक्रिया एवं संपर्क सूत्र

योग्य एवं इच्छुक छात्र निर्धारित आवेदन प्रारूप जिले की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर या कार्यालय से प्राप्त कर, पूर्ण रूप से भरकर समस्त आवश्यक दस्तावेजों के साथ निर्धारित तिथि तक जमा कर सकते हैं।

- **आवेदन प्राप्त करने एवं जमा करने का स्थान:** 1. कक्ष क्रमांक-93, DMFT शाखा, कलेक्ट्रेट कार्यालय, रायगढ़ (छ.ग.)
- **आधिकारिक वेबसाइट:** www.raigarh.gov.in
- **हेल्पलाइन नंबर:** 9770989049 (कार्यालयीन समय पर)
- *आवेदन ३० जुलाई २०२६ तक आमंत्रित किए जाते हैं।*

शिक्षित युवा - सशक्त समाज - समृद्ध एवं उन्नत रायगढ़

कार्यालय जिला खनिज संस्थान न्यास (DMFT), रायगढ़ (छ.ग.)

"खनिज ज्योति योजना" - समेकित आवेदन पत्र एवं चेकलिस्ट

(खनन प्रभावित क्षेत्रों के बी.पी.एल. परिवारों के मेधावी विद्यार्थियों हेतु वित्तीय सहायता)

आवेदन ३० जुलाई २०२६ तक आमंत्रित किए जाते हैं।

आवेदक का पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ चिपकाएँ

(स्व-प्रमाणित)

भाग 1: व्यक्तिगत विवरण (Personal Details)

- **आवेदक का पूरा नाम:** ____
- **पिता/माता/अभिभावक का नाम:** ______________________________________
- **जन्म तिथि (DD/MM/YYYY):** _____________________________________
  - *(ध्यान दें: आवेदन की तिथि को अधिकतम आयु 25 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए)*
- **वर्ग/श्रेणी (✓ करें):** अनारक्षित (UR) [ ] / अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) [ ] / अनुसूचित जाति (SC) [ ] / अनुसूचित जनजाति (ST) [ ]
- **विशेष श्रेणी (यदि लागू हो):** दिव्यांग (PwD) [ ] / अनाथ [ ] / एकल माता-पिता (Single Parent) [ ]
- **पूर्ण स्थायी पता:** ____
  ____
- **क्या आवेदक का निवास क्षेत्र खनन प्रभावित है? (✓ करें):** हाँ [ ] / नहीं [ ]
  - **यदि हाँ, तो प्रभाव की श्रेणी:** प्रत्यक्ष (Directly) [ ] / अप्रत्यक्ष (Indirectly) [ ]
- **बी.पी.एल. (BPL) / अंत्योदय राशन कार्ड क्रमांक:** ______________________
- **परिवार की कुल वार्षिक आय (रुपये में):** _____________________________
- **आधार कार्ड क्रमांक (बैंक खाते व मोबाइल से लिंक):** ____________________
- **मोबाइल नंबर:** ____

भाग 2: शैक्षणिक योग्यता (Academic Qualifications)

- **कक्षा 12वीं (बोर्ड परीक्षा) का विवरण:**
  - उत्तीर्ण वर्ष: ____________
  - प्राप्तांक प्रतिशत (%): ____________
  - *(न्यूनतम अर्हता: UR/OBC हेतु 55% तथा SC/ST/PwD हेतु 50%)*
- **राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षा का विवरण (यदि लागू हो):**
  - परीक्षा का नाम (JEE Advanced/Mains, NEET, CLAT आदि): ____________
  - प्राप्त रैंक / स्कोर: ____________

भाग 3: संस्थान एवं पाठ्यक्रम का विवरण (Institution & Course Details)

- **प्रवेशित शिक्षण संस्थान का नाम:** ______________________________________
- **क्या संस्थान राष्ट्रीय स्तर का प्रतिष्ठित संस्थान है? (IITs, NITs, AIIMS, IIMs या केंद्रीय विश्वविद्यालय):** हाँ [ ] / नहीं [ ]
- **प्रवेशित पाठ्यक्रम का नाम (UG, PG, MBBS, Engineering, Law, MBA, Diploma आदि):** __________________________
- **वर्तमान सत्र हेतु संस्थान की कुल फीस (रुपये में):** _______________________

भाग 4: बैंक खाते का विवरण (Bank Account Details)

(आवेदक के स्वयं के नाम का राष्ट्रीयकृत बैंक खाता)

- **बैंक का नाम:** ____
- **शाखा का नाम:** ____
- **खाता क्रमांक (Account Number):** ____________________________________
- **IFSC कोड:** ____

भाग 5: दस्तावेज सत्यापन चेकलिस्ट (Document Verification Checklist)

महत्वपूर्ण टीप: सभी संलग्न दस्तावेज स्पष्ट, सुपाठ्य एवं सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित अथवा स्व-प्रमाणित (Self-Attested) होने चाहिए। कृपया आवेदन पत्र के साथ दस्तावेजों को इसी क्रम में संलग्न करें।

क्र.	संलग्न किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेज	क्या संलग्न है? (हाँ/नहीं)	कार्यालयीन उपयोग (सत्यापित)
1.	**कक्षा 10वीं एवं 12वीं की अंकसूची** (आयु एवं शैक्षणिक योग्यता के सत्यापन हेतु)।		
2.	**प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाण पत्र:** राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं में चयन का प्रमाण पत्र/रैंक कार्ड।		
3.	**संस्थान का प्रवेश दस्तावेज:** विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा जारी चालू सत्र का नियमित प्रवेश पत्र/सीट अलॉटमेंट लेटर एवं बोनाफाइड सर्टिफिकेट।		
4.	**अधिकृत फीस स्ट्रक्चर:** शिक्षण संस्थान के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी संपूर्ण वर्षों का सेमेस्टर-वार/वार्षिक विस्तृत फीस स्ट्रक्चर।		
5.	**खनन प्रभावित क्षेत्र निवासी प्रमाण पत्र:** सक्षम राजस्व अधिकारी अथवा जनपद CEO द्वारा जारी "खनन प्रभावित क्षेत्र" का विशिष्ट निवास प्रमाण पत्र।		
6.	**जाति प्रमाण पत्र:** सक्षम अधिकारी द्वारा जारी (केवल आरक्षित वर्ग के आवेदकों हेतु)।		
7.	**आय प्रमाण पत्र:** तहसीलदार द्वारा विगत 6 माह के भीतर जारी वैध पारिवारिक आय प्रमाण पत्र।		
8.	**राशन कार्ड:** वैध बी.पी.एल. (BPL) / अंत्योदय राशन कार्ड की प्रमाणित छायाप्रति।		
9.	**आधार कार्ड की छायाप्रति** (जो बैंक खाते और मोबाइल नंबर से लिंक हो)।		

क्र.	संलग्न किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेज	क्या संलग्न है? (हाँ/नहीं)	कार्यालयीन उपयोग (सत्यापित)
10.	**बैंक पासबुक/कैंसल्ड चेक:** विद्यार्थी के स्वयं के नाम का राष्ट्रीयकृत बैंक खाता, जिसमें खाता क्रमांक तथा IFSC कोड स्पष्ट रूप से अंकित हो।		
11.	**पूर्व भुगतान रसीदें:** महाविद्यालय में प्रवेश के समय जमा की गई फीस की मूल कंप्यूटर जनित रसीद या वाउचर।		
12.	**शपथ पत्र (Affidavit):** गैर-न्यायिक स्टांप पेपर (₹10/-) पर नोटरीकृत शपथ पत्र कि आवेदक को किसी अन्य स्रोत से छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं हो रही है तथा दी गई सभी जानकारियां सत्य हैं।		

कुल संलग्न दस्तावेजों की संख्या (अंकों में): ________ (शब्दों में): ___________________________

भाग 6: घोषणा पत्र (Declaration)

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि:

1. मेरे द्वारा ऊपर दी गई सभी जानकारियाँ एवं संलग्न दस्तावेज पूर्णतः सत्य एवं सही हैं।
2. मैं केंद्र या राज्य सरकार की किसी अन्य समान छात्रवृत्ति/वित्तीय सहायता योजना का लाभ नहीं ले रहा/रही हूँ।
3. मुझे ज्ञात है कि योजना की निरंतरता हेतु मुझे आगामी वर्षों/सेमेस्टर में प्रथम प्रयास में न्यूनतम 55% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना होगा तथा मेरी न्यूनतम 75% उपस्थिति अनिवार्य होगी।
4. मुझे यह भली-भांति ज्ञात है कि आवेदन अपूर्ण, अस्पष्ट या कूट-रचित (Fake) पाए जाने पर मेरा आवेदन बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त कर दिया जाएगा तथा मेरे विरुद्ध वैधानिक दंडात्मक कार्यवाही की जा सकेगी।

स्थान: ____________________

दिनांक: ____________________

आवेदक के हस्ताक्षर: ________________________

कार्यालयीन उपयोग हेतु (For Office Use Only)

उक्त चेकलिस्ट के अनुसार सभी दस्तावेजों की जाँच कर ली गई है। आवेदन पत्र **पूर्ण / अपूर्ण** पाया गया।

- **आवेदन प्राप्त होने की तिथि:** ______________
- **जाँचकर्ता के हस्ताक्षर एवं सील:** ______________
- **नाम एवं पदनाम:** ______________

आवेदन जमा करने का स्थान: कक्ष क्रमांक-93, DMFT शाखा, कलेक्ट्रेट कार्यालय, रायगढ़ (छ.ग.)

हेल्पलाइन नंबर: 9770989049 (कार्यालयीन समय पर)

आधिकारिक वेबसाइट: www.raigarh.gov.in